राज्य शिक्षा केन्द्र,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश स्टेट लीडरशिप अकादमी, एस.सी.ई.आर.टी., भोपाल
राज्य शिक्षा केन्द्र,
पुस्तक भवन बी-विंग अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.) – 462011
दूरभाष : (0755) 2552368

मॉड्यूल क्रमांक -1

शीर्षक - लैंगिक समानता की ओर प्रधानाध्यापक का नेतृत्व - मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में

मॉड्यूल का क्षेत्र :- जेंडर संवेदनशीलता

मॉड्यूल के उद्देश्य :-

1. जेंडर समानता व शिक्षण में उसकी आवश्यकता को समझना |
2. विद्यालय घटनाओं / गतिविधियों का सतत आंकलन करने की आवश्यकता को समझना |
3. जेंडर संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय गतिविधियों में आवश्यक सुधार करने की जरुरत को समझना |

प्रस्तावना -

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 में भारतीय समाज को ध्यान में रखकर शिक्षा के लक्ष्यों को वर्णित किया है; यह लक्ष्य हैं –

विचार तथा क्रिया की आज़ादी, स्वतंत्र तथा सामूहिक रूप से सावधानीपूर्वक विचार किये गए मूल्य – निर्धारित निर्णय लेने की क्षमता की तरफ इशारा करते हैं |

ज्ञान और दुनिया की समझ के साथ दूसरे लोगों की भावनाओं व कल्याण के प्रति संवेदनशीलता को मूल्यों के प्रति तार्किक प्रतिबद्धता का आधार होना चाहिए |

सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दुबारा सीखने की तत्परता, नयी परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है |

हम सभी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 में दिए गए शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान से पढ़ लिया है तो हम सभी इस बात को जरुर समझेंगे कि यह कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है | यह लक्ष्य हम सभी की मदद करता है, आस –पास घट रही घटनाओं को विश्लेषित करने में, समाज के मुद्दों को देखने और समझने में, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रखने में, विचार कर निर्णय लेने में, अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करने में और सबसे महत्पूर्ण; जो सीखा है उसे छोड़ने की और दुबारा सीखने की तत्परता मतलब अपने दृष्टिकोण को बदलने में |

अब हम बात करते हैं अपने उस दृष्टिकोण को बदलने की, जो समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को समानता के साथ नहीं देखता और न ही उनके साथ समानता का व्यवहार करता है | इस बात को हम एक उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करते हैं - हम सभी आज 21वीं शताब्दी में अपना जीवन जी रहे हैं और आज भी हम बेटी और बेटे के जन्म पर होने वाले आयोजनों में होने वाले भेद को बड़ी आसानी से अपने आस – पास होते देख सकते हैं | जहाँ एक बेटे के जन्म पर खुशी का जश्न मनाया जाता है तो वहीं एक बेटी के जन्म पर कुछ जगहों पर सब शान्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाया जाता है |

इस तरह का होने वाला व्यवहार बच्चे के जन्म से शुरू होता है और जीवनपर्यंत इसी तरह अलग – अलग जगह पर देखने को मिलता है |

उक्त बातचीत के आधार पर हम सभी इस मॉड्यूल में समझे जाने वाले मुद्दे को समझ पाए होंगे | इस मॉडयूल में हम “लैंगिक समानता” के बारे में बात कर रहे हैं | हालाँकि लैंकिक समानता को जाँचने के कई आयाम होते हैं जैसे – स्वास्थ्य जिसमें बाल मृत्यु दर और पोषण, शिक्षा जिसमें स्कूल के वर्ष और नामांकित बच्चे, जीवन स्तर जिसमें रसोई गैस, शौचालय, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को देखा जाता है |

इसी तरह की लैंगिक असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है | जिसमें सामाजिक रुढ़िवादी सोच, घरेलू तथा समाज के स्तर पर महिलाओं के साथ होने वाला दोयम दर्जे का व्यवहार इसके कुछ अन्य रूप हैं | जैसा कि हमने पहले भी शिक्षा के उद्देश्यों की बात की है और यदि उक्त बातचीत को हम अपने व्यवहार में लाते हैं तो एक लोकतान्त्रिक समाज का निर्माण करने के साथ ही उसका विकास भी कर सकेंगे | साथ ही लैंगिक आधारित विभेदों को भी समाप्त कर शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे | जिसकी शुरुआत हम अपने घर और विद्यालय से कर सकते हैं | विद्यालय बच्चों में दूसरों के सापेक्ष खुद के अस्तित्व की समझ को विकसित करने में मदद कर सकता है |

इसी तरह लड़के एवं लड़कियों में लिंग आधारित विशिष्ट भूमिका की समझ का विकास करने का काम घर में होने वाले व्यवहार से ही शुरू हो जाता है जिसे मजबूती प्रदान करने का काम विद्यालय में होता है | जिसे दिन-प्रति - दिन परिवार में व शिक्षक / शिक्षिकाओं के द्वारा पोषित / प्रोत्साहित किया जाता है | बच्चे भी लिंग संबंध एवं भूमिका, जाति, वर्ग इत्यादि को उसी रूप में देखता व समझता है जैसी भूमिका के साथ उसके साथ व उसके सामने किसी दूसरे से व्यवहार किया जाता है |

विद्यालय में उपयोग की जाने वाली पाठ्यसामग्री (औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लिंगभेद को बनाए रखने में मदद करती है | पाठ्यचर्या में शामिल विषयों व पाठ्यपुस्तकों में शामिल पाठों, चित्रों, भाषा, कहानियों के नायकों आदि को इस प्रकार शामिल किया जाता है कि वे लिंग भेद को बालकों में आत्मसात करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं |

इसी तरह महिला और पुरुष के काम, उनकी भूमिकाएँ, उनका व्यवहार और शालागत गतिविधियाँ इसे दृढ़ता प्रदान करती है |

एक नेतृत्वकर्ता के रूप में शाला प्रमुख को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं विद्यालय हमारी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों से भटक तो नहीं रहा है | यदि ऐसी कोई गतिविधि या घटना विद्यालय परिसर में, कक्षा शिक्षण के दौरान, खेल गतिविधियों के दौरान या फिर छात्र – शिक्षक सहसंबंधों में परिलक्षित होता है तो वहाँ शाला प्रमुख के लिए हस्तक्षेप कर इस स्थिति को संभालना आवश्यक हो जाता है |

पृष्ठभूमि :-

हर बच्चे को उसकी सभी क्षमताओं को पहचान कर उसे विकसित करने का अधिकार है, लेकिन हमारे समाज में फैली हुई लैंगिक असमानता न केवल बच्चे के जीवन को बल्कि उनकी देखभाल करने वालों के जीवन को भी प्रभावित करती है | जबकि इसी "लैंगिक समानता के सिद्धांत" को भारतीय संविधान के मूल तत्वों में शामिल किया है | इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में महिला सुरक्षा, सम्मान, विकास व भेदभाव से बचाव के प्रावधान किए गए हैं |

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारे कानून, विकासात्मक नीतियों व योजनाओं के अंतर्गत शामिल हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास को प्रमुखता दी गई है | संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,39 व 42 में इसकी चर्चा की गई है | अनुच्छेद 14 महिलाओं को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है | अनुच्छेद 15 (1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा | अनुच्छेद 15 (3) में महिला और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने को कहा गया है | तो अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की बात कही गई है | संविधान में इन तमाम प्रावधानों के बावजूद जमीनी हकीकत अलग कहानी बयान करती है |

भारत में लड़कियों और लड़कों के बीच न केवल उनके घरों और समुदायों में भेदभाव किया जाता है, बल्कि इसे हम हर जगह देख सकते और महसूस कर सकते हैं | पाठ्यपुस्तकों, फिल्मों, मीडिया आदि सभी जगह उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है यही नहीं इनका देखभाल करने वाले पुरुषों और महिलाओं के साथ भी भेदभाव किया जाता है | इस भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को स्थापित करने के क्षेत्र में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है |

लैंगिक समानता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि स्त्री और पुरुष एक सामान हो जाएँ बल्कि विकास के अवसर एक समान मिलें | लैंगिक भेदभाव और इससे जुड़ी रुढ़िवादी मानसिकता एक जटिल चुनौती है | जिसके कारण बच्चे ठीक तरीके से अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाते हैं और यदि हम इस लैंगिक असमानता को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें बच्चों को उनके बचपन से ही बच्चों को संवेदनशील बनाना होगा | परन्तु जिस संस्कृतिक जड़ता के माहौल व परिवेश से बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं वहाँ स्त्री – पुरुष को देखने का नजरिया बहुत अलग होता है | किन्ही विशेष कारणों, परिस्थितियों या अवसरों पर लड़कियों को विद्यालय आना / भेजना बंद कर दिया जाता है |

समाज में फैली लैंगिक असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 के "1.6 शिक्षा का सामाजिक सन्दर्भ" में बताया है कि "शिक्षा व्यवस्था उस समाज से अलग – थलग होकर काम नहीं करती जिसका वह एक है | जातिगत, आर्थिक तथा स्त्री – पुरुष संबंधों का पदानुक्रम, सांस्कृतिक विविधता और असमान विकास से, जो भारतीय समाज की विशेषताएँ हैं, शिक्षा की प्राप्ति और स्कूलों में बच्चों की सहभागिता प्रभावित होती है | स्कूल में नामांकित होने वाले और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चों के अनुपात के मामले में विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समुदायों के बीच जो गहरी विषमता देखि जा सकती है, उसमें यह प्रतिबिंबित होता है | इस प्रकार ग्रामीण व शहरी गरीब वर्गों तथा धार्मिक एवं अन्य जातीय अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की लडकियाँ शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक असुरक्षित होती है | शहरी इलाकों में और अनेक गाँवों में, स्कूली व्यवस्था स्वयं में अनेक स्तरों में बंटी हुई है और बच्चों को असाधारण रूप से अलग – अलग शैक्षिक अनुभव देती है | असमान लैंगिक संबंध न केवल वर्चस्व को बढ़ावा देते हैं बल्कि वे लड़के – लड़कियों में तनाव भी पैदा करते हैं तथा उनकी मानवीय क्षमताओं के पूर्ण विकास की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचाते हैं | यह सबके हित में है कि मनुष्य को लिंग असमानताओं से मुक्त कराया जाए |"

लैंगिक समानत के बारे नई शिक्षा नीति 2020 में अध्याय 5 शिक्षक के बिंदु 5.9 में स्कूल में पर्याप्त और सुरक्षित बहुतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, सभी जेंडर के छात्रों और दिव्यांग बच्चों सहित, एक सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सकें और स्कूल में पढ़ाने और सीखने के लिए सुविधाजनक और प्रेरित महसूस करें | अध्याय 6 समतामूलक और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए अधिगम के बिंदु 6.2 और 6.8 में भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर - समावेशी निधि' का गठन करेगी | अध्याय 14 उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन के बिंदु 14.4.1 के बिंदु

'ग' और 14.4.2 के बिंदु 'ट' में भी उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर – संतुलन को बढ़ावा देना और पाठ्यक्रम सहित उच्चतर शिक्षण संसथानों के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर – पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करना |

आपके विचार में -

1. लैंगिक समानता लाने में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है ? किन्ही तीन प्रमुख विचारों को लिखिए |

   ---

2. विद्यालय में लैंगिक समानता स्थापित करने में बतौर प्रधानाध्यापक आप क्या कर सकते हैं ? प्रमुख तीन जिम्मेदारियों को लिखें |

लिंग आधारित भेदभावपूर्ण पूर्वाग्रह :-

हालाँकि जब भी किसी समूह के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कि जाती है तो वे उस समूह या उस समूह के कुछ सदस्यों को यह स्वीकार करने में परेशानी आती है कि उनके द्वारा कभी किसी प्रकार लैंगिक भेदभाव किया गया है | जबकि भारत में औसतन समाजों में महिला व पुरुष को अलग ही नहीं देखा जाता बल्कि उनके साथ असमान्तापूर्ण व्यवहार भी किया जाता है | सामाजिक असमानता का यह रूप विभिन्न समाजों, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न रूपों में हर जगह नज़र आता है | इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी गतिविधि को हम करेंगे | इस गतिविधि को करते समय यह ध्यान रखना है कि गतिविधि पर जवाब वही लिखना है जो हमारे दिमाग ने पहला जवाब दिया हो |

चित्र क्रमांक 1 -

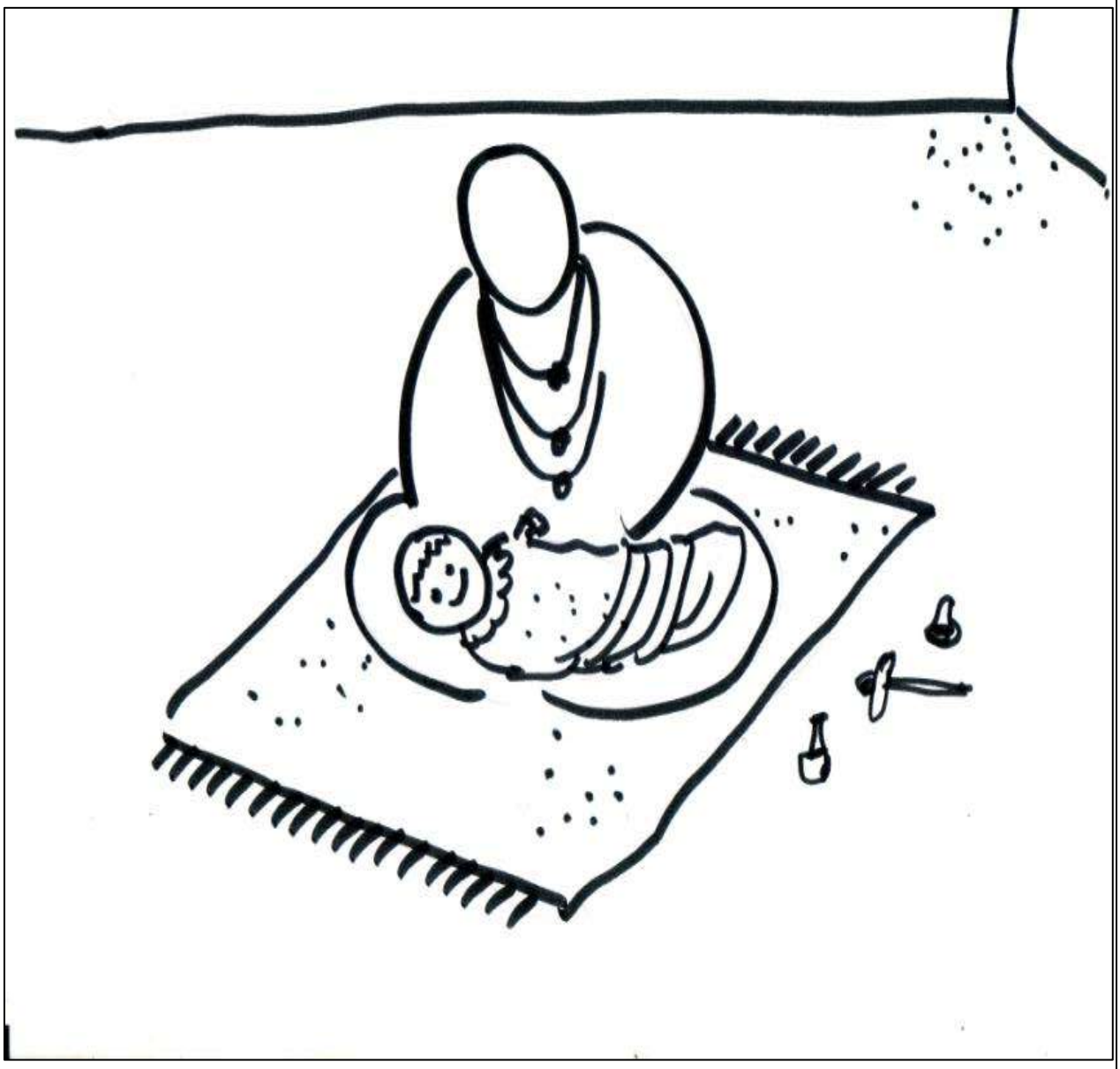

इस चित्र में आपको कौन – कौन दिख रहा है _____

चित्र क्रमांक 2 -

इस चित्र में आपको कौन – कौन दिख रहा है _____

चित्र क्रमांक 3 -

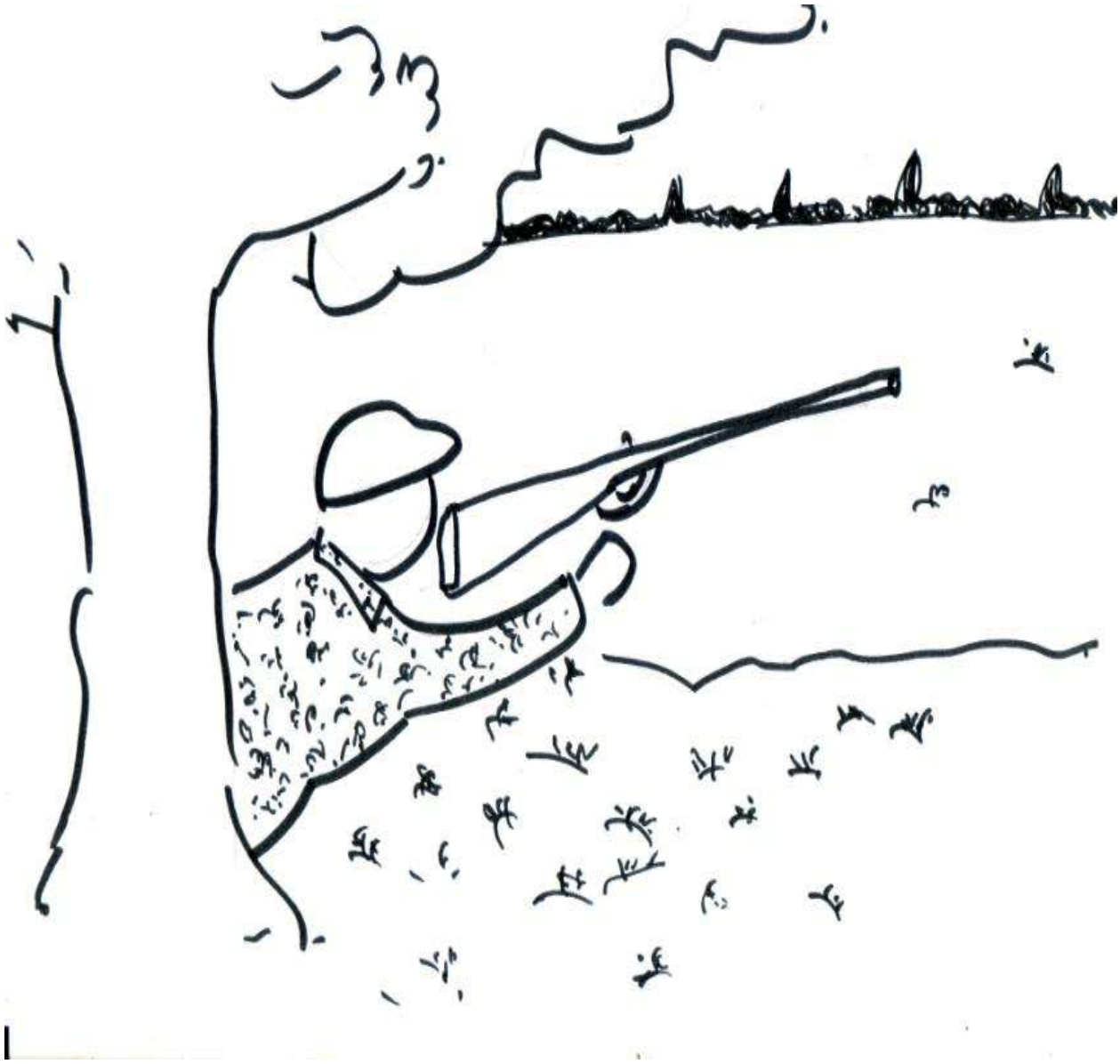

इस चित्र में आपको कौन दिख रहा है _____

चित्र क्रमांक 4 -

इस चित्र में आपको कौन – कौन दिख रहा है _____

चित्र क्रमांक 5 -

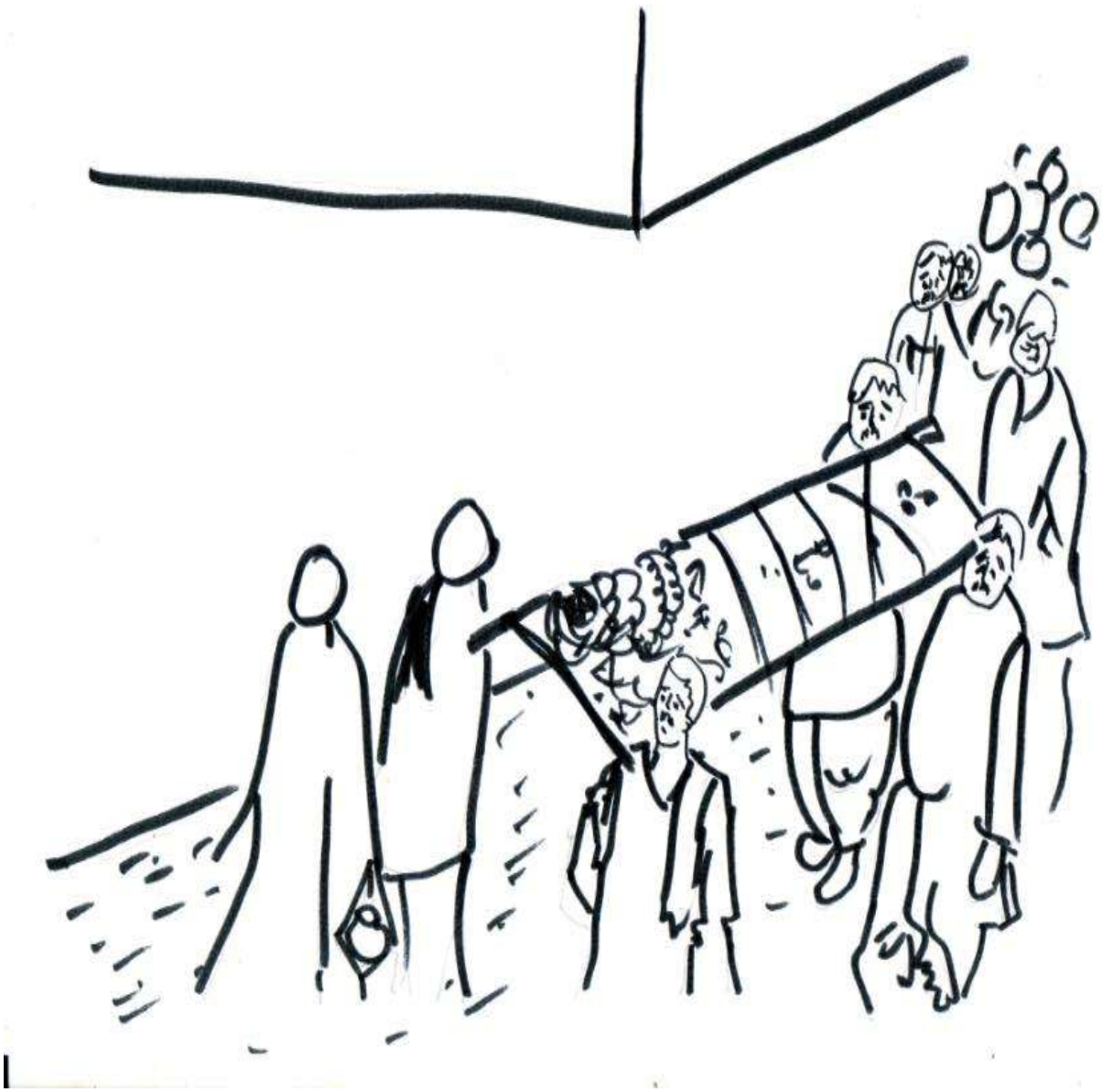

इस चित्र में आपको कौन – कौन दिख रहा है _____

अभी हमने 5 चित्रों को देखा यह सभी चित्र आमतौर पर महिला व पुरुषों के द्वारा किये जाने वाले कामों से सम्बंधित हैं | यदि यह सभी अधूरे चित्र पुरे होते तो शायद हम इस बात पर इतना विचार नहीं करते परन्तु यह सभी चित्र हमें अपनी ही सोच को चुनौती दे रहे हैं कि महिला और पुरुष को देखने का हमारा अपना नजरिया क्या है और क्या यह नजरिया उचित है ? यदि नहीं है तो हमें इस पर फिर से विचार करना चाहिए |

चित्र क्रमांक	चित्र	विचारणीय बिंदु
1	गोद में बच्चा	यह संभव है कि हममें से ज्यादातर शाला प्रमुखों ने यहाँ जवाब 'महिला की गोद में बच्चा' लिखा होगा	पर क्या एक पुरुष इस तरह से किसी बच्चे को अपनी गोद में नहीं सुला सकता	
2	दवाखाना	यहाँ पर इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति को कुछ साथियों ने महिला तो कुछ ने पुरुष समझा होगा	पर जिन साथियों ने इंजेक्शन लगाने व्यक्ति को महिला नर्स के रूप देखा वे एक बार विचार करें कि क्या वह पुरुष नर्स नहीं हो सकता	
3	सैनिक	निश्चित ही हम सभी ने यहाँ इस चित्र को देखकर पुरुष ही लिखा होगा	पर क्या महिलाएँ देश की सेवा के कामों को नहीं करती हैं	
4	कुली	हम सभी ने कई यात्राएँ की हैं और उन यात्राओं के दौरान कुली के रूप में पुरुषों को देखा है परन्तु मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के रेलवे स्टेशन पर 'मंजू' नाम की महिला कुली, पुरुषों के समान ही वजन उठाते हुए कई सालों से इस काम को कर अपने परिवार का पालन – पोषण कर रही है	
5	शवयात्रा	हम सभी सामाजिक सोच के बंधन में इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि इस चित्र में हम किसी महिला की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि शवयात्रा में जाना सिर्फ पुरुषों के अधिकार क्षेत्र में शामिल है	जबकि कई परिवारों में लड़कियों ने दाह – संस्कार जैसे संस्कार को पूरा किया है	

निश्चित ही इस गतिविधि में हम यह समझ पाए होंगे कि जिन कामों को हम लगातार अपने आस – पास होते हुए देख रहे हैं वह हमारी सोच और व्यापक दृष्टिकोण को बाधित करता है | इसी से प्रभावित होकर हम अपने व्यवहार को भी बदल लेते हैं |

यदि इसी तरह के व्यवहार हो हम अपने घरों में देखें तो परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी के लिए लड़कों को बचपन से ही तैयार किया जाता है | उन्हें यह बार – बार याद करवाया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर घर की आर्थिक व्यवस्था को संभालना है | इसी तरह लड़कियों को समझाया जाता है कि घर के काम करने की जिम्मेदारी लड़कियों की रहती हैं | जबकि कई बार यह दोनों ही लिंग निर्धारित जिम्मेदारियों के विपरीत कामों का चयन करते हैं |

ऐसा ही एक क्षेत्र है विद्यालय, जहाँ कई शिक्षकों की भाषा में भी लैंगिक असमानता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है | यदि एक लड़का स्कूल / घर में रोता है तो आमतौर पर उसे यह कह कर चुप कराया जाता है कि "लड़के तो बहादुर होते हैं , वे लड़कियों की तरह रोते नहीं हैं" | वहीं एक लड़की को यह कहा जाता है कि "तुम तो सुंदर हो रो – रो कर अपना चेहरा क्यों ख़राब करना है ?"

हम सभी ने जेंडर असमानता को बहुत ही सहज रूप में उसे स्वाभाविक समझते हुए स्वीकार कर लिया है | या यह कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनशील मान लिया गया है | लेकिन जेंडर समानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों तथा तयशुदा सामाजिक भूमिकाएँ हैं, जिनमें काफी असमानता दिखाई देती है जैसे पुरुष अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं और स्त्रियों को सामुदायिक कार्यों में नेतृत्व के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते हैं | जिम्मेदारी वाले कार्यों में स्त्रियों को कम भागीदारी दी जाती है | सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है | इन्हीं भेदभाव के कारण स्त्रियाँ प्रताड़ना और परेशानियों का शिकार होती हैं | कई बार इस तरह के भेदभाव का शिकार पुरुष भी होते हैं | परन्तु पुरुषों के साथ होने वाली प्रताड़ना स्त्रियों के साथ होने वाली प्रताड़ना जितनी उभर कर सामने नहीं आती है | इसलिए हर बार यह समझ लिया जाता है कि पुरुषों के द्वारा ही प्रताड़ना दी जाती है |

उक्त देखे गए व्यवहारों के अलावा समाज में आप और किस तरह के लिंग आधारित भेदभावपूर्ण पूर्वाग्रह को देखते हैं, लिखें |

विद्यालय में उन क्षेत्रों की पहचान कीजिये जहाँ लिंग आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है |
इस व्यवहार को पता लगाने के लिए प्रधानाध्यापक को शाला गतिविधियों, शिक्षकों के व्यवहार, कक्षा व कक्षा

से बाहर छात्र – छात्राओं से होने वाले संवाद का अवलोकन करना होगा |

क्या एक प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में लिंग आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं ? यदि हाँ तो कैसे ?

निश्चित ही हम सभी ने अभी जिस गतिविधि को किया है उस गतिविधि से हम सभी की सोच और व्यवहार में कुछ बदलाव आया होगा | यह बदलाव परिवार और समाज में महिला और पुरुष के कर्तव्यों व जिम्मेदारियों से जुड़े पूर्वाग्रहों से सम्बंधित रहे होंगें | जिससे हमारे दृष्टिकोण को बदलने की दिशा में मदद मिली होगी |
एक शाला प्रमुख के रूप में शाला का नेतृत्व करते हुए लिंग आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार को कम अथवा दूर करने से पहले यह समझना होगा कि लिंग व जेंडर में बड़ा अंतर है | आमतौर पर इन दोनों का एक ही अर्थ लगाया जाता है | क्योंकि अंग्रेजी भाषा में दो अलग – अलग शब्द हैं सेक्स और जेंडर, पर हमारे पास एक ही शब्द है – **'लिंग'** जिसे दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है | इन दोनों में फर्क को समझने के लिए दो शब्दों को समझना होगा |

सेक्स के लिए हम **'प्राकृतिक लिंग'** शब्द का इस्तेमाल करते हैं |

जेंडर के लिए हम **'सामाजिक लिंग'** शब्द का इस्तेमाल करते हैं |

<u>लिंग (प्राकृतिक लिंग) –</u>

प्राकृतिक लिंग का अर्थ है जिसे प्रकृति ने बनाया है और जिसे बदला नहीं जा सकता है | प्राकृतिक लिंग में महिला व पुरुष के जननांगों में और उससे जुड़े कार्यों में अंतर साफ़ दिखाई देता है | क्योंकि यह प्राकृतिक है और

स्थाई है | इसलिए किसी भी देश, काल, स्थान, जाति और समय में महिला और पुरुष के अंग वही रहते हैं | प्राकृतिक लिंग को बदला नहीं जा सकता है | यह पहचान हमें जन्म से मिलती है इसलिए यह जैविकीय है |

<u>जेंडर (सामाजिक लिंग) –</u>

सामाजिक लिंग वह है जिसमें किसी समाज में रहने वाले लोगों द्वारा अलग – अलग लिंग के व्यक्ति की भूमिका, जिम्मेदारी, कार्यक्षेत्र और कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है | सामाजिक लिंग को ही जेंडर कहा जाता है | जेंडर सामाजिक, सांस्कृतिक है | इसका संबंध पुरुष के समान और महिला के समान किये जाने वाले व्यवहार के तरीकों, गुणों, भूमिकाओं आदि से है | जेंडर परिवर्तनशील है, इसे बदला जा सकता है | यह समय के साथ, संस्कृति के साथ, यहाँ तक कि एक परिवार से दूसरे परिवार में बदला सकता है |

शाला की विभिन्न गतिविधियों / सीखने – सिखाने में होने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार और इस दौरान प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी –

अक्सर विद्यालय में बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है और यदि कहीं बालिकाओं को अधिक महत्व दिए जाने की बात किसी प्रधानाध्यापक द्वारा कही भी जाती है तो वहाँ पर बालिकाओं के हिस्से में शाला संबंधी कई जिम्मेदारियाँ व काम शामिल होते हैं |

एक शाला प्रमुख के रूप में हमें शालागत गतिविधियों व बालक – बालिकाओं के साथ होने वाले व्यवहार का सतत आकलन करते रहना चाहिए |

जैसा कि पिछले प्रश्न में आपने अपनी शाला संबंधी कुछ क्षेत्रों की पहचान की है | कुछ क्षेत्र जिन पर एक प्रधानाध्यापक को विशेष ध्यान देना चाहिए और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में नेतृत्व करना चाहिए उस पर कुछ विचार करेंगे |

1. ***<u>शिक्षक का कक्षा – कक्ष व्यवहार और ध्यान देना –</u>***

   आमतौर ऐसा देखने में आता है कि कक्षा में शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तथा जो ध्यान महिला विद्यार्थी प्राप्त करती भी है, वह लड़कों की तुलना में ज्यादा सकारात्मक नहीं होता है | चूँकि यह धारणा भी बहुत आम है कि लडकियाँ गणित और विज्ञान जैसे तार्किक विषयों को पढ़ने व समझने में सक्षम नहीं होती हैं | इसलिए लड़कों को इन विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है | और यदि कोई लड़की कक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर भी दे तो यही कहा जाता है कि आगे बढ़ने की सम्भावना है ही कितनी |

   हालाँकि महिला शिक्षक भी इस धारणा का समर्थन ही करती हैं कि लड़कियों को गणित पढ़ कर कोई मार्केटिंग थोड़े ही करनी है | कक्षा में होने वाली गतिविधियों में जितनी स्वस्थ अंतः क्रिया शिक्षक व छात्रों के बीच देखने को मिलती है उतनी छात्राओं के साथ देखने को नहीं मिलती है |

अतः एक शाला प्रमुख के नेतृत्व का एक पक्ष प्रत्येक विषय की प्रत्येक कक्षा का नियमित अवलोकन करना भी है | जिससे वह इन मुद्दों के प्रति भी जागरूक व सचेत रहकर उस दिशा में कार्य कर सके |

2. ***<u>प्रार्थना सभा में लड़कियों व लड़कों की अलग – अलग पंक्तियाँ –</u>***

प्रार्थना सभा में भी लड़कों व लड़कियों की पंक्ति अलग – अलग बनवाई जाती है | समय – समय पर कक्षाओं में भी यह हिदायत दी जाती है कि लड़के व लडकियाँ अलग – अलग बैठे व पढ़े | इसी तरह कक्षाओं में दो मॉनिटर (कक्षा प्रतिनिधि) भी नियुक्त किये जाते हैं, एक लड़का व एक लड़की | ऊपरी तौर पर देखने पर यह बहुत अच्छा लगता है कि दोनों ही लिंग को कक्षा में या प्रार्थना में समान दर्जा व अवसर मिल रहा है, परन्तु प्रक्रिया में दोनों ही लिंग के मॉनिटर विपरीत लिंग के सह छात्रों को किसी भी तरह का आदेश नहीं दे सकते हैं |

अतः एक नेतृत्वकर्ता के रूप में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि वह दोनों ही लिंगों के मध्य समानतापूर्ण व्यवहार करें |

3. ***<u>बालक – बालिकाओं का अलग - अलग खेल और खेलना –</u>***

अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिन शालाओं में बालिकाओं और बालकों को सहशिक्षा दी जाती है वहाँ दोनों अलग – अलग मैदान में खेलना पसंद करते हैं | यां यूँ कहें कि शालाओं में खेल के पीरियड के कभी भी बालक – बालिकाओं के एक साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं | यही कारण है कि बालिकाएँ अधिकतर समय कक्षा में ही बिताती है और लडकियाँ भाग – दौड़ वाले खेलों से अपने आप को बचाती रहती हैं जबकि सिर्फ बालिकाओं के विद्यालय में स्थिति इसके बिलकुल उलट देखी जा सकती है |

इसी सन्दर्भ में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस सन्दर्भ में जारी मार्गनिर्देशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय में प्रारम्भिक स्तर ही से लैंगिक संवेदनशीलता का विकास प्रारम्भ करना चाहिए एवं किसी भी स्थिति में लैंगिक आधार पर असमानता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए |

अब तक की गई बातचीत के आधार पर आप “लैंगिक समानता” से क्या समझ सके हैं ? अपने विचारों को लिखें |

क्या सीखने – सिखाने में लैंगिक समानता का होना आवश्यक है यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों ?

इसी प्रकार लिंग समानता को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य के शाजापुर जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय मेवासा के शाला प्रमुख द्वारा न सिर्फ बालकों की शिक्षा को महत्व दिया गया बल्कि शाला में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सामान महत्व देते हुए कुछ ऐसे प्रयास किये गए जिससे बालक एवं बालिकाओं का सीखना व शाला में आना सुनिश्चित हो सका है |

शाला प्रमुख के द्वारा किये गए प्रयासों की कुछ झलकियों को हम निम्नलिखित लेख के छोटे – छोटे हिस्सों को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे | साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम भी अपनी शाला में इस तरह के कुछ कामों को कर सकते हैं जो हमें लिंग संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करने में मदद करें |

"केस – स्टडी"

"शासकीय माध्यमिक विद्यालय मेवासा, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश"

शासकीय माध्यमिक विद्यालय मेवासा में अध्ययनरत छात्रों के लगभग 70 प्रतिशत पालक खेतिहर मजदुर हैं | शाला में 10 कमरे हैं और 113 की छात्र संख्या है | शाला में छात्रों की औसत उपस्थिति 80 प्रतिशत है | छात्र स्व – अनुशासन का पालन कर विद्यालय के बेहतर सञ्चालन में सहयोग प्रदान करते हैं | विद्यालय में छात्रों के पीने के लिए शुद्ध पेयजल (आर.ओ.वाटर), सेनेटरी इन्सिनरेटर, सेनेटरी डिस्पोजल रूम, विद्युत सुविधा, सुरक्षित खेल का मैदान, वृक्षारोपण द्वारा पर्याप्त हरियाली, व्यवस्थित कक्षाएँ, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, सहयोगी स्टाफ एवं दिव्यांग शौचालय भी उपलब्ध है | यद्यपि, इस विद्यालय में कोई दिव्यांग छात्र या स्टाफ सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी यादी यहाँ कोई दिव्यांग छात्र या शिक्षक स्टाफ में आता है तो उन्हें भी कोई असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखकर इस सुविधा को पहले ही तैयार करवाया है |

विद्यालय को इस स्तर पर लाने में बाल केबिनेट, शिक्षकों का मार्गदर्शन व शाला प्रबंधन समिति ने साथ मिलकर उपरोक्त संसाधनों को जुटाने और उनका उचित प्रबंधन करने का काम एक टीम के रूप में किया है | टीम के रूप में शाला की प्रमुख समस्याओं की पहचान करना व उसका समाधान करना विद्यालय प्रधानाध्यापक के नेतृत्व के प्रमुख गुण को उभरता है |

शाला की प्रमुख समस्या जो रही है उस में अनियमित उपस्थिति, कम नामांकन, अपेक्षित शैक्षणिक स्तर का न मिलना एवं पालकों का शाला में जुड़ाव न होना था | इन सभी समस्याओं से कोई भी संस्था प्रमुख अकेला नहीं निपट सकता है | अपितु टीम प्रमुख के रूप में छात्र – छात्राओं की अनियमितता को प्रमुखता के साथ देखा | जिसमें यह पाया कि शाला 55 प्रतिशत छात्राएं व 45 प्रतिशत छात्र अनुपस्थित रह रहे हैं | क्योंकि छात्राओं की अनुपस्थिति का प्रतिशत ज्यादा था जो कि चिंताजनक था इसलिए इस संबंध में शाला प्रधानध्यापक ने सबसे पहले शाला में पदस्थ महिला शिक्षकों से बात की | जब महिला शिक्षकों के साथ इसकी जानकारी जुटाई गई तो कुछ पारिवारिक समस्याओं के अतिरिक्त यह तथ्य सामने आया कि शाला में छात्राओं के लिए पृथक शौचालय की सुविधा नहीं है | साथ ही मासिक धर्म के दौरान शाला में सुविधाओं का आभाव छात्राओं के लिए सबसे प्रमुख समस्या थी |

इसी तरह अनुपस्थित छात्रों से भी बातचीत की गई जिसके बाद छात्रों के लिए भी शौचालय का न होना व विभिन्न खेल सामग्रियों का आभाव अनियमितता का कारण बना | शाला प्रधानाध्यापक ने विद्यालय समस्या की पहचान कर उसे क्रमबद्ध रूप से हल करने का काम शुरू किया | जिसमें सबसे पहले जो बच्चे विद्यालय में दर्ज हैं उनकी नियमित उपस्थिति हो , इसके लिए शाला के वातावरण को बेहतर बनाने, बालिकाओं के लिए शाला में हो सेनेटरी पेड, इन्सिनरेटर व सेनेटरी डिस्पोजल रूम की व्यवस्था की | व खेल के मैदान को सुधार एवं खेल के लिए एक सुरक्षित परिसर निर्मित किया और सभी आवश्यक न्यूनतम खेल सामग्री विद्यालय को उपलब्ध कराई | इसके साथ ही छात्र – छात्राओं के लिए पृथक – पृथक क्रियाशील शौचालय की व्यवस्था की | छात्राओं को ध्यान में रखते हुए शाला में सेनेटरी इन्सिनरेटर और सेनेटरी डिस्पोजल रूम की व्यवस्था की |

सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने के बाद धीरे – धीरे छात्रों की उपस्थिति में सुधार होने लगा और यह क्रम निरंतर बढ़ने लगा | छात्राएं भी अब नियमित उपस्थित होने लगी और उनके शैक्षणिक स्तर में भी सुधर होने लगा | अब वे विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए उपलब्धि प्राप्त करने लगे और उनकी उपलब्धियों ने उनके पालकों और समाज का ध्यान भी आकर्षित किया | जिसके चलते अशासकीय विद्यालय के छात्र – छात्राएँ भी इस विद्यालय में प्रवेश लेने लगे हैं |

चिंतन हेतु कुछ प्रश्न –

1. इस प्रधानाध्यापक ने समस्या की पहचान व समाधानों के लिए क्या – क्या कदम उठाये ?

---

2. एक प्राधानाध्यापक में लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील होना क्यों जरुरी है ?

---

3. लिंगीय विभेदों को शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

---

4. विद्यालय में संचालित गतिविधियों की निम्नलिखित तालिका में सूची बनायें और बालक – बालिका के

मध्य हो रहे भेदभाव को चिन्हित करें ?

क्रमांक	व्यवस्था	बालक	बालिका
उदाहरण	मेज – कुर्सी के आभाव में नीचे बैठना	-	बालिका
1.			
2.			
3.			
4.			

5. इस माड्यूल की सीख या समझ को आप अपने विद्यालय में किस तरह लागू करेंगे ?

समेकन -

जैसा कि हम सभी ने शासकीय माध्यमिक शाला मेवासा के शाला प्रमुख के प्रयासों को पढ़ा | पढ़ने के दौरान हम सभी ने यह महसूस किया होगा कि किसी भी संस्था प्रमुख के लिए अपनी संस्था को अकेले आगे लेकर जाना

मुश्किल काम है | परन्तु यह काम उस समय आसान हो जाता है जब हम अपने कामों का विकेन्द्रीयकरण करना शुरू कर देते हैं | विकेन्द्रीयकरण करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जिन लोगों को जोड़कर एक टीम का गठन किया गया है उन पर भरोसा करना | साथ ही टीम की सफलता को स्वयं की असफलता के रूप में दर्शाना और सफलता का श्रेय पूरी टीम में बाँट देना | यह भी संभव है कि टीम के हर सदस्य में एक सामान क्षमता न हो परन्तु हर किसी में कुछ विशेषता निश्चित ही होती है और नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी टीम के सदस्यों की क्षमताओं और कमियों का विश्लेषण करना आना चाहिए | जिससे काम का आवंटन किया जा सके | यदि किसी नेतृत्वकर्ता के द्वारा इस प्रकार से टीम का सञ्चालन किया जाता है तो निश्चित ही वह शाला सभी प्रकार की सफलताओं से परिपूर्ण होगी |

और जब हम लैंगिक समानता जैसे गंभीर मुद्दे में टीम को साथ लेकर बालक – बालिकाओं के साथ समान व्यवहार, शिक्षा, अवसरों और अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम सभी बच्चों को शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, खेलकूद में भाग लेना एवं सशक्त कर समाज में समान महत्व दें |

बतौर प्रधानाध्यापक हम यह भी कर सकते हैं :-

1. लिंग आधारित समानता को अपने व्यवहार का हिस्सा बनायेंगे |
2. लैंगिक समानता पर समझ बनाने के लिए प्रशिक्षण व्याख्यानों का हिस्सा बनेंगे |
3. विद्यालय में दिख रहे भेदभावों पर खुली चर्चा करते हुए समानता लाने का प्रयास करेंगे |

सन्दर्भ सूची –

1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 – अध्याय 1, 2 व 3
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
3. जेंडर क्या है ? _ कमला भसीन
4. हम सबला _ जागोरी की पत्रिका_ जनवरी – जून_2014
5. चित्र – पहल जन सहयोग विकास संस्थान, इंदौर
6. जेंडर, विद्यालय तथा समाज_शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा, हल्द्वानी
7. जेंडर संवेदीकरण : शिक्षक शिक्षा की भूमिका _ चेतना
8. सफलता की कहानी – ललित तिवारी, मेवासा, शाजापुर

लेखक का नाम - ज्योति भाटिया

स्वतंत्र सलाहकार, (पूर्व यूनिसेफ शिक्षा सलाहकार)

जिला - इंदौर, मध्य प्रदेश

संपर्क नम्बर – 9977464977

ईमेल एड्रेस – jyoti7781@yahoo.com